न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : उज्जवल राठौड़, आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या – 6/2021 (Bank Case)
GCMS No. 2021/5

ईक्विटास स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड जिसका शाखा कार्यालय होटल एप्पल ईन के सामने, निर्माण नगर अजमेर रोड,डीसीएम,जयपुर–302019 राज. में स्थित व कार्यरत है तथा पंजीकृत कार्यालय– चौथी मंजिल फेज–2, स्पेन्सर प्लाजा, नं.769,माउण्ट रोड,अन्ना सलाई,चैन्नई–600002 तमिलनाडु में स्थित है ।

– प्रार्थी /सिक्योरक्रेडिटर

बनाम

1. श्री विष्णु कुमार पुत्र श्री भीमराज
   पता– मकान नं. 34, मेघवाल जी गुर्जर, बसिल रामगढ़, उर्फ कैलाशपुरा, ग्राम–खेरी गुरला, तहसील–सॉगोद जिला कोटा राजस्थान–325202
2. श्री भीमराज पुत्र श्री द्वारकी लाल, निवासी– मकान नं. 34, मेघवाल जी गुर्जर, बसिल रामगढ़, उर्फ कैलाशपुरा, ग्राम–खेरी गुरला,तहसील–सागोद जिला कोटा राजस्थान–325202
3. श्रीमती निर्मला बाई पत्नि श्री भीमराज
   पता– मकान नं. 34, मेघवाल जी गुर्जर, बसिल रामगढ़, उर्फ कैलाशपुरा, ग्राम–खेरी गुरला, तहसील–सागोद जिला कोटा राजस्थान–325202

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 14 दी सिक्यूरीटीजेशन रिक्सट्रक्शन आफ फाईनेंशियल ऐसिटस एण्ड एनफोर्समेन्ट आफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

उपस्थित
श्री कुलदीप सिंह जादौन, अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांक: 27.01.2021

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है ईक्विटास स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय– चौथी मंजिल फेज–2, स्पेन्सर प्लाजा, नं.769, माउण्ट रोड,अन्ना सलाई,चैन्नई–600002 तमिलनाडु में स्थित है तथा शाखा कार्यालय होटल एप्पल ईन के सामने, निर्माण नगर अजमेर रोड, डीसीएम, जयपुर–302019 राजस्थान में स्थित है से अप्राथीगण ने दिनांक 28.03.2019 को रूपये 3,20,000/–(अक्षरे: रूपये तीन लाख बीस हजार मात्र) का ऋण लिया था अप्रार्थीगण ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप मे **अचल सम्पत्ति आवासीय खसरा नम्बर 109,पट्टा नं. 6685, संकल्प नं.22,मिसल नं. 143 ग्राम कैलाशपुरा,रामगढ़,राजगढ़, ग्राम पंचायत मनदीता, पंचायत समिति सॉगोद, जिला कोटा राजस्थान में स्थित है जिसका कुल क्षैत्रफल 1050 स्क्वायर फिट है, जिसकी चतुर्थ सीमा– पूर्व में– गुमानीशंकर, पश्चिम में–रास्ता, उत्तर में–लालचन्द, दक्षिण में– भवानीशंकर है** को प्रार्थी बैंक के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थी ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी के खाते को दिनांक. 09.03.2020 को एन.पी.ए. कर दिया गया । अप्रार्थीगण के खाते मे बकाया राशि 3,40,755/– (अक्षरे रूपये तीन लाख, चालीस

जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज0)

हजार सात सौ पचपन मात्र) बकाया रकम दिनांक 19.03.2020 तक शेष देय है व आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्चे पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थी जिम्मेदार है । प्रार्थी बैंक ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी को दिनांक 17.06.2020 को रजिस्टर्ड नोटिस भी प्रेषित किये गये, नोटिस प्राप्ति के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी बैंक को नही संभलाया है । प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते मे देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया ।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया । अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थी ने उसके खाते मे देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत अप्रार्थी को दिनांक 17.06.2020 को नोटिस भी प्रेषित किये गये, नोटिस प्राप्ति के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी बैंक द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अर्न्तगत दिनांक 17.06.2020 को नोटिस भी अप्रार्थी को प्रेषित किये गये, नोटिस प्राप्ति के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी/ बंधककर्ता **अचल सम्पत्ति आवासीय खसरा नम्बर 109,पट्टा नं. 6685, संकल्प नं.22,मिसल नं. 143 ग्राम कैलाशपुरा,रामगढ़,राजगढ़, ग्राम पंचायत मनदीता, पंचायत समिति सॉगोद, जिला कोटा राजस्थान में स्थित है जिसका कुल क्षैत्रफल 1050 स्क्वायर फिट है, जिसकी चतुर्थ सीमा– पूर्व में– गुमानीशंकर, पश्चिम में–रास्ता, उत्तर में–लालचन्द, दक्षिण में– भवानीशंकर है** का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है । उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/ कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों मे देय है तो संबंधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा । आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) कोटा को हस्ब कायदा जारी हो । सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति मे यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे ।

आदेश आज दिनांक 27.01.2021 को सुनाया गया ।

27/1/21

(उज्जवल राठौड़)
जिला मजिस्ट्रेट
कोटा

जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज०)